

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प (114)-1010/3/2012

दिनांक 28 जुल 2012

अधिरूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 10 के उप नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान अफोर्डेबिल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 के अन्तर्गत निजी खातेदारी भूमि पर निजी विकासकर्ताओं को अफोर्डेबिल हाउसिंग के लिए कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ अनुज्ञा एवं आवंटन हेतु देय प्रीमियम की पूर्व में दी गई छूट जारी रहेगी। अतः सभी नगर निकाय उक्त धारा 90-ए के तहत ऐसे प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करते हुये अतिशीघ्र निस्तारण करेंगे।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. शासन उप सचिव- प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति समस्त समस्त नगर निगमों/ नगर परिषदों/नगरपालिका मण्डलों, राजस्थान को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को प्रेषित कर लेख है कि अधिरूचना का प्रकाशन राजस्थान राज पत्र के असाधारण अंक में तत्काल कराया जाकर राजपत्र की 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।
10. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।
11. सचिव, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
12. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।

(उप शासन सचिव-द्वितीय)